क्यू/सीएडी/798/01/2016

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

कैडर कक्ष

चौथी मंजिल, **जेएन भवन**,
जनपथ, **नई दिल्ली** ,
दिनांक – 08 **अप्रैल**, 2016

<u>परिपत्र</u>

विषय : मसौदा भर्ती नियमों पर टिप्पणी

विदेश मंत्रालय नीचे दिए विवरणों के अनुसार निम्नलिखित भर्ती नियमो (आरआर) को बनाने का प्रस्ताव करता है। मसौदा भर्ती नियम (आरआर) तदनुसार तैयार किए गए हैं तथा इसके साथ संलग्न हैं।

क) प्रतिनियुक्ति सह समामेलन आधार पर अनुभाग अधिकारी तथा सहायक के पद के लिए भर्ती नियम।

ख) विदेश मंत्रालय में अताशे (साइबर सुरक्षा) के पद के लिए भर्ती नियम।

ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मॉडल के आधार पर स्टाफ कार ड्राइवरों के पद के लिए भर्ती नियमों की फिर से अधिसूचना।

2. **तदनुसार**, **सभी हितधारकों, अर्थात, मंत्रालय/विभाग, सर्विस एसोसिएशने तथा व्यक्तिगत अधिकारी अधिकतम 11 मई, 2016 तक भर्ती नियमों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। टिप्पणियां ईमेल के द्वारा** uscadre@mea.gov.in **पर भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।**

हस्ता/-
(**विपिन पांडेय**)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष – 4901 5368

(भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, फरवरी, 2016

<u>अधिसूचना</u>

जीएसआर............ संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, विदेश मंत्रालय में अताशे (साइबर सुरक्षा), ग्रुप 'ए' पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले, अर्थात: -

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - इन नियमो को विदेश मंत्रालय, अताशे (साइबर सुरक्षा) भर्ती नियम, 2016 बुलाया जा सकता है।**

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट होगा।**
3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता आदि - उक्त पद की भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता तथा इनसे संबंधित अन्य मामले कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट अनुसार होंगे।**
4. **अयोग्यताएं -**

   कोई व्यक्ति -

   अ) **जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है।**

   आ) **जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है।**

   उक्त पदों के लिए भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और कि ऐसा करने के लिए इस नियम के परिचालन से किसी व्यक्ति को छूट देने के लिए अन्य आधार भी थे।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति - जब केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है या ऐसा करना वांछनीय है, तो वह आदेश दे कर, जिसके कारण लिखित में दर्ज किये जा सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श कर, व्यक्तियों की किसी**

श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधानों का छूट प्रदान कर सकती है।

6. **के अपवाद के साथ - इन नियमों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस संबंध में समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के लिए अन्य आवश्यक रियायतों को प्रभावित करेगा।**

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह सेलेकशन पद है या गैर-सेलेकशन पद है	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
1.**अताशे (साइबर सुरक्षा**	1* (2016) * **कार्यभार के आधार पर परिवर्तनों के अधीन**	**सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'बी', राजपत्रित, गैर मिनिस्टीरियल**	**वेतन बैंड**-2 9300-34800 + **ग्रेड वेतन** 4800	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वालों के लिए भी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती से है या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समामेलन आधार पर और विभिन्न विधियों द्वारा	भर्ती के पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समामेलन द्वारा किए जाने की स्थिति में ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समामेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति उपलब्ध है तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

लागू होंगी		रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत			
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	डेपुटेशन द्वारा	डेपुटेशन: केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकारी: (क)(1) पेरेंट कैडर/ डेपुटेशन में नियमित आधार पर समान पदधारी, या (2) नियुक्ति के बाद वेतन बैंड-2, पदों में 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 में नियमित आधार पर की गई 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित या पेरेंट कैडर/विभाग में समतुल्य और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखना: अनिवार्य: (1) कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्येगिकी /इलैक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन में बीई/बीटेक (इंजीनियरिंग स्नातक) (2) सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों/ फील्डों में तीन साल का अनुभव वांछनीय: (1) आईटी सर्टिफिकेशन – सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी नहीं है

			एसोसिएट (**सीसीएनए**) (2) **आईटी सर्टिफिकेशन** – **रैड हैट सर्टिफाइड** **इंजीनियर** (**आरएचसीई**) **केंद्र सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पर में डेपुटेशन सहित डेपुटेशन की अवधि** 4 **वर्षों से अधिक नहीं होगी।** **सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए डेपुटेशन या पुन**: **रोजगार:** **सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है तथा जिनके पास निर्धारित अपेक्षित अनुभव और योग्यता है**, **के नामो पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक डेपुटेशन नियम एवं शर्तें प्रदान की जाएंगी**, **जिस तारीख तक वे सशस्त्र सेवाओं से रिलीज़ के लिए देय हैं**, **इसके पश्चात वे पुन**: **रोजगार पर बने रह सकते**		

			हैं (सिविल पदों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु तक पुनः रोजगार)		

(**नंबर क्यू/सीएडी**/798/02/2016)
विप्रा पांडेय, **अवर सचिव** (**कैडर**)